न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—340/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/340)

1. गोपाल दास पुत्र रामचन्द्र
2. कानाराम पुत्र रामकरण
   समस्त जाति साधु, निवासीगण ग्राम कालेसरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. संगीता पत्नी प्रेमसिंह जाति नायक, निवासी नायको की गली वार्ड नं0 13, सुभाष नगर, अजमेर।
2. सायरी पत्नी रामकरण
3. पपूडी उर्फ पापी पत्नी बिहारी उर्फ महावीर
   समस्त जाति साधू निवासीगण ग्राम कालेसरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2025 राजस्व वाद संख्या 39/2024

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश कुमार साहु अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नवीन गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 4
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 26.12.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.04.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वर्तमान अपीलांट्स व शेष रेस्पोडेंटस के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन जिला अजमेर के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के

आदेश दिनांक 08.04.2025 को पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.04.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान अपीलांटस को बिना कोई सूचना दिये तथा बिना सुने पीठ पीछे निर्णय पारित कर दिया, इस कारण प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की पूर्व में जानकारी नहीं थी। उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट बनाते समय प्रार्थीगण मौके पर उपस्थित हुये थे, और उन्होनें भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर रास्ता दिये जाने बाबत सहमति दी थी, जिस पर मौके पर मौजूद राजस्व टीम से कहा था कि आपकी बात को हमने लिख लिया है और हम इनका मुकदमा खारिज कर रहे है. इस बाबत आप अपने हस्ताक्षर कर दो। प्रार्थीगण गामीण परिवेश के कृषक व्यक्ति है, वह कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझते है और उन्होनें राजस्व कर्मचारियों की बात का विश्वास करके हस्ताक्षर कर दिये और मुकदमा खारिज मानकर चले गये। प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 08.07.2025 को पटवारी हल्का से हुई, जिस पर प्रार्थीगण उसी दिन न्यायालय गये और अपने वकील साहब के पास जाकर सम्पर्क किया और जानकर करके उसी दिन निर्णय 08.04.2025 की नकल लेने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया और उसी दिन प्रमाणित नकल प्राप्त कर, आज दिनांक को अजमेर आकर अपने वकील साहब से यह अपील तैयार करवाकर बिना किसी विलम्ब के आज पेश करवा रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान अपीलांटस को बिना कोई सूचना दिये तथा बिना सुने पीठ पीछे निर्णय पारित कर दिया. इस कारण प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की पूर्व में जानकारी नहीं थी पूर्णतः अस्वीकृत है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा चरण संख्या 2 में ही कथन किया कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट बनाते समय प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण मौके पर उपस्थित हुये थे और उन्होंने भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर रास्ता दिये जाने बाबत सहमति दी थी, जिस पर मौके पर मौजूद राजस्व टीम से कहा था कि आपकी बात को हमने लिख लिया है और हम इनका मुकदमा खारिज कर रहे है इस बाबत आप अपने हस्ताक्षर कर दो, से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को प्रकरण की भलि–भाँति जानकारी थी, केवल मात्र प्रकरण में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हो पाये। चरण संख्या 2 के ही शेष कथन कि प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के कृषक व्यक्ति है जो कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझते है और उन्होनें राजस्व कर्मचारियों की बात का विश्वास करके हस्ताक्षर कर दिये और मुकदमा खारिज मानकर चले

गये, विरोधाभासी होने से अस्वीकृत है, क्योंकि प्रार्थीगण/ अपीलार्थीगण द्वारा इसी चरण में कथन किया गया कि आदेश की नकल प्राप्त कर अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया किन्तु मौका रिपोर्ट के पश्चात अधिवक्ता से क्यो सम्पर्क नहीं किया गया। चरण संख्या 2 के अन्य कथन कि प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 08.07.2025 को पटवारी हल्का से हुई कपोलकल्पित होने से अस्वीकृत है, क्योंकि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण उक्त कथन के समर्थन में पटवारी हल्का का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। चरण संख्या 3 में चाही गयी प्रार्थना कि न्यायहित में अपील पेश करने में जो विलम्ब हुआ है वह सदभाविक कारण होने से क्षमा की जाये, कतई प्रदत्त नहीं कि जा सकती क्योंकि विधिनुसार अपने हक व अधिकारों के प्रति उदासीन व न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं कि जानी चाहिये। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई मियाद संबंधित युक्तियुक्त कारण तकमिल नहीं किया गया हो तथा ना ही दीर्घ अवधि से संबंधित प्रत्येक दिन की देरी बाबत कोई संतोषप्रद कारण अंकित नही किया गया हो उक्त अपील प्रस्तुति में प्रार्थी विलम्ब क्षमन हेतु पर्याप्त एंव संतोषप्रद कारण अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट करने में पूर्णतया असफल रहा हो ऐसी स्थिति में प्रत्येक न्यायालय को यह विधिक कर्तव्य है कि delay can not be condoned only on symphathic ground or in the general way जैसे 2007 आर आर टी–पेज 1316, 2007(2) एस सी सी 322, 2005 एस सी सी (2)–3460, ए आई आर 1998 एस सी 2276, 2022 आर आर टी 165, 2019 (15) एस सी सी 33। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट स्वयं मौका रिपोर्ट के समय उपस्थित थे तथा उनके मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी हैं तो ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि उन्हें उक्त निर्णय की यथासंभव जानकारी नहीं रही हो। इसलिए न्यायालय हाजा प्रकरण में तकनीकि बिंदुओं पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित समझते है जिससे प्रकरण के समस्त तथ्यों का विधिक परीक्षण किए जाने के उपरांत उसका निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली भांति परीक्षण किए जाने के उपरांत गुणावगुण पर किया जाना संभव होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

आर0बी0जे (13)2006

INDIAN LIMITATION ACT, 1963- **section 5- When substantial question of law involved in appeal, delay condoned.**

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर ने विवादित निर्णय दिनांक 08.04.2025 बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए तथा अपीलांट्स को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए अपीलांट्स की पीठ पीछे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी पीसागंन, जिला अजमेर ने विवादित निर्णय दिनांक 08.04.2025 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअन्दाज किया कि रेस्पो० स० 1 के पास अपनी आराजी पर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता पूर्व से मौजूद है। इसलिये विधिक प्रावधानों के अनुसार वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के कारण सुविधा के आधार पर नया रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर भारी विधिक त्रुटि कारित की है। जो कि इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी पीसागंन, जिला अजमेर ने विवादित निर्णय दिनांक 08.04.2025 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअन्दाज किया कि मौका रिपोर्ट तैयार किये जाते समय, अपीलांटस ने मौके पर उपस्थित होकर रास्ते में दी जाने वाली भूमि के बदले में भूमि दिये जाने पर बाबत सहमति प्रदान की है और भूमि के बदले भूमि से अच्छा कोई प्रतिकर नही हो सकता है। जिसका अंकन आई एल आर ने अपनी मौका रिपोर्ट में भी किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रस्ताव के विपरीत जाकर रेस्पो० सं० 1 को रास्ते की भूमि के बदले राशि का भूगतान किये जाने की सहमति को नजरअन्दाज करके विवादित निर्णय को पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी पीसागंन, जिला अजमेर ने विवादित निर्णय दिनांक 08.04.2025 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअन्दाज किया कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 सितम्बर 2023 द्वारा राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अधिनियम 2023 संख्यांक 23 पारित कर धारा 251 ए को संशोधित करके भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रावधान प्रावधित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक प्रावधान को नजरअन्दाज करके विवादित निर्णयों को पारित कर भारी विधिक त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी पीसागंन, जिला अजमेर ने विवादित निर्णय दिनांक 08.04.2025 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअन्दाज किया कि विधिक दृष्टान्त आर आर टी 2019 पार्ट 2 पेज 1210 में माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर ने यह स्पष्ट किया है कि "प्रतिकर का तात्पर्य केवल राशि से नहीं है, बल्कि यह किसी भी प्रारूप में हो सकता है। भूमि के बदले भूमि देने से बेहतर कोई प्रतिकर नहीं है। भूमि के बदले में भूमि दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक प्रावधान को नजरअन्दाज करके विवादित निर्णय को पारित कर भारी विधिक त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी पीसागंन, जिला अजमेर ने विवादित निर्णय दिनांक 08.04.2025 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअन्दाज किया कि जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह मौका रिर्पोट अपीलांट की अनुपस्थिति में उसकी पीठ पीछे तैयार की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट तैयार किये

जाने बाबत अपीलांट को उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का कोई नोटिस या सूचना प्रदान नहीं की गई। जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसरण में उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट स्वंय तहसीलदार या आई एल आर के द्वारा मौके पर जाकर उभय पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। इसलिये उक्त प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किये जाने के कारण साक्ष्य में ग्राहय नहीं की जा सकती है और इसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी पीसागंन, जिला अजमेर ने विवादित निर्णय दिनांक 08.04.2025 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअन्दाज किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 68, 69 व 70 के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विवादित निर्णय दिनांक 08.04.2025 पारित किया है। क्योंकि नियम 69 व 70 में यह स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान प्रावधित किया गया है कि मौका रिर्पोट पक्षकारों को विधिवत नोटिस तामील करवाकर एवं उनकी उपस्थिति में ही तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी और उक्त मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर न्यायालय का दायित्व है कि वह पक्षकारों वह मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पक्षकारो से उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित करेगा। चाहे कोई पक्षकार आपत्ति प्रस्तुत करे या नहीं करे, न्यायालय को आज्ञापक प्रावधानों की पालना में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जायेगा। न्यायालय यह कहकर इतिश्री नहीं कर सकता है कि किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समय नहीं चाहा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विवादित निर्णय दिनांक 08.04.2025 पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी पीसागंन, जिला अजमेर ने विवादित निर्णय दिनांक 08.04.2025 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअन्दाज किया कि रेस्पो० सं० 1 की आराजी पर जाने के लिये पूर्व से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जिस पर से वह अपनी आराजी पर आता जाता है तथा अपीलांट की आराजी मे से होकर रेस्पो० सं० 1 अपनी आराजी पर कभी नहीं आया गया है। यदि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया होता तो अपीलांट न्यायालय को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराता। अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में विवादित निर्णय दिनांक 08.04.2025 पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है, जो इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.04.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीया की आराजीयात ग्राम कालेसरा के खसरा संख्या 1225 की आराजी स्थित है। प्रार्थीया की उक्त वर्णित आराजी के खसरा संख्या 1225 से खसरा संख्या 1110 तक पहुंचने के लिये वर्तमान में कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीया के आराजी तक पहुंचने के लिये अप्राथीगण के खसरा संख्या 1227 की दक्षिण सीमा से होकर लगते हुए गै०मु० पाल खसरा संख्या 1230 से आता जाता रहा है। प्रार्थी के पास स्थाई रास्ता नहीं होने से आये दिन बाधा अडचन होती है। अतः

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर खसरा संख्या 1225 के पूर्व दिशा की तरफ लगता हुआ अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1227 की दक्षिण सीमा से हाकर गै.मु पाल खसरा संख्या 1230 में गै. मु. रास्ता खसरा संख्या 1110 तक लम्बा तथा 15 फिट चौडा रास्ता दिलाने के आदेश फरमायें। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 08.04.2025 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1225 के पूर्व दिशा की तरफ लगता हुआ अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1227 की दक्षिण सीमा से होकर गै0मु0 पाल खसरा नम्बर 1230 में गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1110 तक लंबा तथा 15 फिट चौडा रास्ता दिलाए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया।

दिनांक 04.09.2024 को तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट अनुसार *" खसरा संख्या 1230 गै.मु. पाल प्रतिबन्धित किस्म होने के कारण रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। खसरा संख्या 1227 के खातेदारों की ही भूमि खसरा संख्या 1228 व 1229 में से रास्ता दिया जाना उचित होगा। मौके पर प्रतिवादी संख्या 03 व 04/अपीलांट ने अवगत कराया कि हमारी खातेदारी से रास्ता दिया जाता है तो उसके बदले नगद राशि नहीं लेकर प्रार्थीया संगीता के खेत में से जमीन दे दी जावे तो हम रास्ता देने को तैयार है। "*

तहसीलदार द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट में मौके का भली भांति निरीक्षण कर व अपनी मौका रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व दिया गया मार्ग लघुत्तम का उल्लेख करते हुए बनाई गई है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट के पास अपनी आराजीयात में जाने के लिए मौके पर वैकल्पिक मार्ग का अभाव है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेंट को दिया गया रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के मंशा अनुसार उतना ही दिया गया है जिससे प्रार्थी/रेस्पोडेंट अपनी आराजीयात में सरल व सुगम तरीके से आ जा सके व कृषि यंत्रों को सुविधा की दृष्टि से ले जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट पक्षकारों को विधिवत सूचना दिए जाने के पश्चात मौके पर उपस्थित मौतबिरान व्यक्ति की उपस्थिति में बनाई जाकर उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की गई है

जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है।

चूंकि वर्तमान रेस्पोडेंट के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। क्यों कि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है। वर्तमान रेस्पोडेंट को अपनी कृषि आराजीयात पर आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्याय की मंशा के अनुकुल है। अतः इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट की खातेदारी आराजीयात में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है व रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। चूंकि प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। उसके उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित रूप से जांच व परीक्षण करने के बाद ही विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। अर्थात मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता आवश्यकताजनित व युक्तियुक्त होना मानते हुए ही रास्ते कायमी के आदेश दिए गए है।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कहे गए कथनों के अनुसार उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया तथा प्रार्थी/रेस्पोडेंट के पास अन्य वैकल्पिक मार्ग मौजूद है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट बनाते समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 की पालना नहीं की गई है।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कहे गए कथनों का परीक्षण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्वयं सिद्ध है जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 1227, 1228, 1229 में से स्वयं रास्ता प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा अपीलांट द्वारा रास्ते के बदले भूमि की मांग की गई है परंतु भूमि के बदले भूमि दिए जाने पर उभयपक्षों की सहमति होना आवश्यक है जो कि वर्तमान प्रकरण में नहीं है इसलिए रास्ते के बदले प्रतिकर राशि ही उचित है।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के समय अपीलांट स्वयं उपस्थित थे उनके द्वारा मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय पूर्ण रूप से नियम 69 की पालना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस तामीली की विधिक प्रक्रिया अपनाकर उन्हें अनेक अवसर प्रदान किए गए थे जिसके तहत साधारण नोटिस, रजिस्टर्ड एडी व अखबार साया इसके उपरांत भी वह उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित कर पाने में विफल रहे हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि हाजा न्यायालय द्वारा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.04.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर